Business Standard
All Edition
19.08.2020

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise) (CIN No. L74899DL1956GOI002674)
Jawahar Vyapar Bhawan, Tolstoy Marg, New Delhi-110 001
Tel.: 011-23313177(2116 Exdn.), Fax: 011-23701123, 23701191

TRANSFER OF SHARES IN RESPECT OF WHICH DIVIDEND HAS NOT BEEN CLAIMED/PAID FOR SEVEN CONSECUTIVE YEARS OR MORE TO THE INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF)

Shareholders of the Company are hereby informed that pursuant to the provisions of Investor Education & Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), as amended, the Final Dividend declared for the financial year 2012-13, which remained unclaimed for a period of seven years will be credited to the IEPF within thirty days from the due date, October 31, 2020. The corresponding shares on which dividend was unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the rules.

As per the aforesaid Rules, the details of such shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF, is made available on the Company's website, namely, www.stclimited.co.in. In this connection, please note the following;

(a) In case you hold shares in physical form, Duplicate share certificate(s) will be issued and transferred to IEPF. The original share certificate(s) which stand registered in your name(s) and held by you will stand automatically cancelled.

(b) In case you hold shares in electronic form, your DEMAT account will be debited for the shares liable for the transfer to the IEPF.

In the event valid claim is not received by the company on or before the date 31.10.2020, the Company will proceed to transfer the liable Equity shares in favour of IEPF authority without any further notice. Please note that the concerned shareholders can claim the shares & dividend from IEPF authority (www.iepf.gov.in)by making an application in the prescribed form IEPF-5 online and sending the physical copy of the requisite documents enumerated in the form IEPF-5, to the Nodal Officer of the Company i.e., Company Secretary (email: cs@stclimited.co.in). Please also note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF pursuant to the said rules.

For any queries on the above matter, shareholders are requested to contact the Company Secretary or company's Registrar and Share Transfer Agent at M/s. MCS Share Transfer Agent Limited F-65, 1st Floor, Ma Anandmayee Marg, Okhla I, Okhla Industrial Area, New Delhi, email: admin@mcsregistrars.com;, Phone: 011 4140 6149

For The State Trading Corporation of India Limited
Sd/-
(Vipin Tripathi)
Company Secretary

बिज़नेस स्टैंडर्ड
सभी संस्करण
19.08.2020

स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम) (सीआईएन : L74899DL1956GOI002674)
पंजीकृत कार्यालय : जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली - 110 001
फोन : 011-23313177(2116 Edn.), Fax: 011-23701123, 23701191

उन शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि आईईपीएफ में हस्तांतरण जिनके मामले में लगातार सात वर्षों अथवा अधिक समय से लाभांश का दावा/भुगतान नहीं किया गया है।

शेयरधारकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि यथा संशोधित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, हस्तांतरण एवं वापसी) नियम, 2016 ("नियम") के प्रावधानों के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए घोषित अंतिम लाभांश जो सात साल से बेदावा है, को नियत तिथि 31 अक्टूबर, 2020 से तीस दिनों के भीतर आईईपीएफ में जमा किया जाएगा। ऐसे शेयर जिन पर लगातार सात वर्षों तक लाभांश का दावा प्राप्त नहीं हुआ है उनको को भी नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हस्तांतरित किया जाएगा।

उपरोक्त नियम के अनुसार, ऐसे शेयरधारकों के विवरण कंपनी की वेबसाइट (www.stclimited.co.in) पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनके शेयर आईईपीएफ में हस्तांतरित करने योग्य होते हैं। कृपया निम्नलिखित को नोट करें:–

(क) यदि, आपके पास शेयर भौतिक रूप में हैं, तो डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी कर आईईपीएफ में हस्तांतरित किये जाएँगें। मूल शेयर प्रमाणपत्र जो आपके नाम में पंजीकृत हैं,और आपके पास उपलब्ध हैं वे स्वतः रद्द हो जाएँगे।

(ख) यदि आपके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं, तो आईईपीएफ में हस्तांतरण योग्य शेयर आपके डीमेट खाते मे से डेबिट कर दिए जाएँगे।

यदि, दिनांक 31.10.20 को या उससे पहले वैध दावा प्राप्त नहीं होता है तो कंपनी इक्विटी शेयरों को बिना किसी अतिरिक्त सूचना के आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में हस्तांतरित कर देगी। कृपया नोट करें कि संबंधित शेयरधारक, निर्धारित आईईपीएफ–5 फार्म में आनलाईन आवेदन कर (www.iepf.gov.in) और कंपनी के नोडल अधिकारी (कंपनी सचिव : cs@stclimited.co.in) को आईईपीएफ–5 में उल्लेखित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ भौतिक रूप में भेज कर शेयरों और लाभांश के लिए दावा कर सकते हैं । कृपया ध्यान दें कि बेदावा लाभांश राशि और उक्त नियमों के तहत आईईपीएफ में हस्तांतरित शेयरों की बाबत कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे उपरोक्त मामले पर किसी भी प्रश्न के लिए, कंपनी सचिव या कंपनी रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट, मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड एफ–65, प्रथम तल, माँ आनंदमयी मार्ग, ओखला, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली, से ईमेल: admin@mcsregistrars.com; फोन: 011 4140 6149 पर संपर्क करें।

कृते दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन आर्फ इंडिया लिमिटेड
हस्ताक्षर/-
(विपिन त्रिपाठी)
कंपनी सचिव